



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
(शासकीय स्वशासी संस्था)

कार्यालय दूरभाष नंबर - 0731-2527383, ई-मेल - dean.ind@mp.gov.in

क्रमांक /

/स्था/अवि/स्वशासी/2024

इन्दौर, दि.

// कार्यालय आदेश //

कर्मचारी चयन मण्डल के पत्र क्रमांक/02/72/2022/08/प-2/1051/2024 भोपाल दिनांक 27.02.2024 द्वारा प्राप्त मेरिट एवं प्रतिका सूची के आधार पर की गई स्कूटनी पश्चात विभागीय स्कूटनी समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों का चयन स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पद पर अनन्तिम रूप से वेतनमान लेवल 4 (19500-62000) रूपए प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुए निम्न शर्तों के अधीन स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	चयनित आवेदक का नाम	चयनित श्रेणी	आवेदक की श्रेणी	मोबाईल नं
1	समीक्षा पिता सुनिल	OBC(F)	OBC	9131306753
2	अतीशसिंह सिकरवार पिता वृजराज सिंह सिकरवार	UR	UR	7898384476
3.	आकाश वर्मा पिता जन्देश सिंह वर्मा	UR	OBC	8359052257

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं.एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेशान) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ-5/1/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। यही शर्त कर्मचारी द्वारा त्याग-पत्र देने पर लागू होगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/ई.डब्ल्यू.एस./महिला/नि:शक्तजन/भूतपूर्व सैनिक के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार रहेगी।
- एक बार इस चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएं अन्य चिकित्सा महाविद्यालय को स्थानांतरित नहीं होगी।
- संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
- भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
- आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि वाबद प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुरितका तथा रु.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने की नियत तिथि तक आप अपनी उपस्थिति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में दर्ज करावें।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक :-

15/07/24

पृ.क्रमांक / 9939-44 / रथा/अवि/स्वशासी/2024
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल।
- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
- लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर।
- सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर।
- संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- कार्यालय आदेश नरित।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर